न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02/2019

प्रविष्टि दिनांक 07.11.2019

सरकार जरिए तहसीलदार देवली जिला टोंक

—प्रार्थी

बनाम

जगदीश पुत्र चौथमल महाजन निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् खारिज करने वाद संख्या 602/97 निर्णय दिनांक 24.10.1997

उपस्थित—

1. पेरोकार सरकार श्री मजहर आलम एड.।

अभिशंषा दिनांक 25/11/25

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार देवली द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 के तहत प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार हैं कि न्यायालय सहायक कलेक्टर, देवली ने वाद संख्या 602/97 में दिनांक 24.10.1997 को ग्राम नासिरदा के खसरा नं. 556 रकबा 1.18 हैक्टैयर चरागाह में से 0.40 हैक्टेयर का प्रतिवादी को खातेदार घोषित किया है एवं खसरा नं. 540 जो प्रतिवादी की खातेदारी में था उसे राजकीय खाते में घोषित किया है। उक्त निर्णय को विधिविधान के प्रतिकूल बताते हुए वाद संख्या 602/97 के निर्णय दिनांक 24.10.1997 को खारिज करने हेतु रेफरेन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अभिशंषा के साथ भिजवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ परन्तु अप्रार्थी अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव कथन किया कि न्यायालय सहायक कलेक्टर, देवली ने वाद संख्या 602/97 में दिनांक 24.10.1997 को ग्राम नासिरदा के खसरा नं. 556 रकबा 1.18 हैक्टैयर चरागाह में से 0.40

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

हैक्टेयर का प्रतिवादी को खातेदार घोषित किया है एवं खसरा नं. 540 जो प्रतिवादी की खातेदारी में था उसे राजकीय खाते में घोषित किया है। उक्त निर्णय विधिविधान के प्रतिकूल होने से खारिज योग्य हैं। आराजी खसरा नं. 556 चरागाह भूमि है जिस पर खातेदारी अधिकार घोषित नहीं किये जा सकते है। चरागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार देना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(6) का स्पष्ट उल्लंघन है। दावा उद्घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज में गत सीट की नकल आवश्यक होती है जो न्यायालय सहायक कलेक्टर, देवली के वाद संख्या 602/97 में रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार बिना गत सीट के उक्त दावा डिक्री किया गया है जो कि नियमों के प्रतिकूल है। उद्घोषणा में खसरा नं. 540 जो प्रतिवादी की खातेदारी में था उसको चरागाह में अंकित न कर राजकीय खाते में अंकन की घोषणा की है जो खारिज योग्य है। मूल ग्राम नासिरदा से नवीन राजस्व ग्राम गोपालपुरा बनने से खसरा नं. 540 के हाल नं. 423 व खसरा नं. 556 के हाल नं. 420 बने है। खसरा नं. 423 अप्रार्थी की गैर खातेदारी में व खसरा नं. 420 चरागाह दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार न्यायालय सहायक कलेक्टर, देवली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.10.1997 विधिविधान एवं नियमों के प्रतिकूल है। चरागाह भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(6) के अनुसार खातेदारी अधिकारी नहीं दिए जा सकते है। उक्त निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाकर वाद संख्या 602/97 निर्णय दिनांक 24.10.1997 को खारिज करने हेतु रेफरेन्स न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान को अभिशंषा के साथ प्रेषित किया जावे।

अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ परन्तु अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई।

हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी एंव बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, सहायक कलेक्टर, देवली के निर्णय पत्रावली व डिक्री दिनांक 24.10.1997, मिलान क्षेत्रफल खसरा नं. 540 एवं 556 तथा 423 व 420 ग्राम नासिरदा, नकल मिसल बन्दोबस्त खाता संख्या 1212 व चरागाह का खाता, नकल वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 1460 व 1412 मय नक्शा ट्रेस व खसरा गिरदावरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। निर्णय व डिक्री दिनांक 24.10.1997 से स्पष्ट हैं कि न्यायालय सहायक कलेक्टर, देवली ने वाद संख्या 602/97 में दिनांक 24.10.1997 को ग्राम नासिरदा के खसरा नं. 556 रकबा 1.18 हैक्टैयर चरागाह में से 0.40 हैक्टेयर का प्रतिवादी को खातेदार घोषित किया है एवं खसरा नं. 540 जो प्रतिवादी की खातेदारी में था उसे राजकीय खाते में घोषित किया है। चरागाह भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(6) के अनुसार खातेदारी अधिकारी नहीं दिए जा सकते है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(6) में वर्णित हैं कि–

"16. वह भूमि जिसमें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे – इस अधिनियम या राज्य के किसी भी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, निम्न भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे–

(6) सार्वजनिक प्रयोजन या सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य के लिए अर्जित या धारित भूमि;"

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(6) के अनुसार किसी व्यक्ति को चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकारी नहीं दिए जा सकते है। न्यायालय सहायक कलेक्टर, देवली के वाद संख्या 602/97 में पारित निर्णय दिनांक 24.10.1997 विधिविरूद्ध एवं नियमों के प्रतिकूल है। अतः ऐसी स्थिति में हमें रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर, देवली के वाद संख्या 602/97 में पारित निर्णय दिनांक 24.10.1997 को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 25/4/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अति.जिला कलेक्टर
टोंक